उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

अधिहरण वाद सं0 06/2019–20

जूलकर अंसारी..अपीलकर्त्ता।

बनाम

सरकार...उत्तरकारी।

आदेश

23.11.2021

यह अधिहरण अपील प्राधिकृत पदाधिकारी –सह– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका के अधिरहण वाद सं0–03/2017 में पारित आदेश दिनांक–27.09.2019 के विरूद्ध दायर किया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय में उक्त अधिहरण वाद काठीकुण्ड थाना काण्ड सं0–53/2016 दिनांक– 01.09.2016 में धारा–143/ 147/ 149/ 340/323/353/225/506/379 भा0द0वि0 एवं 33 भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत् दर्ज प्राथमिकी में महिन्द्रा ट्रैक्टर एवं ट्रेलर पर लदे पत्थर वोल्डर को अवैध रूप से छुड़ाकर ले जाने एवं सरकारी कार्य में वाधा डालने एवं गाली गलौज करते हुए मारपीट के संबंध दर्ज पुलिस अधीक्षक, दुमका के ज्ञापांक–149/अप0शा0 दिनांक–03.02.2017 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है।

वस्तुतः मामला यह है कि बामरझांटी पहाड़ के ऊपर एक ट्रैक्टर पर 05–06 व्यक्तियों द्वारा पत्थर तोड़कर लोड कर रहे थे। वन क्षेत्र पदाधिकारी, दुमका दामिन प्रक्षेत्र काठीकुण्ड के नेतृत्व गश्ती के दौरान वहॉ पहुँचने पर सभी व्यक्ति भागने लगे। भागने के क्रम में एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया जिसने अपना नाम नाजीर हुसैन पिता सोयेब अंसारी ग्राम–घोगड़िया थाना–दुमका मुफसिल बताया। उन्होंने शेष भागने वाले व्यक्तियों का नाम (1) नसीर अंसारी पिता–नजन अंसारी (2) मुस्ताक अंसारी पिता–जुलकर अंसारी ग्राम–घोगड़िया थाना –दुमका जिला–दुमका तथा ट्रैक्टर मालिक का नाम जुलकर अंसारी पिता–मजरूल अंसारी, पिता–जुलकर अंसारी, ग्राम–घोगड़िया थाना–दुमका मु0 बतलाया। जाँचोपरांत उक्त बिना नम्बर लाल

(4)

रंग का महिन्द्रा ट्रैक्टर के ट्रेलर पर करीब–करीब पूरा डाला पत्थर लोड पाया गया। इसके वाद विधिवत कार्रवाई करते हुए पकड़ाये गये व्यक्ति तथा बिना नम्बर को ट्रैक्टर एवं उस पर लदे पत्थर को वन अपराध संलिप्त पाये जाने पर जब्त कर प्रक्षेत्र कार्यालय लाया जा रहा था। उक्त ट्रैक्टर को लाने के क्रम में करीब 5:20 बजे ग्राम–बोड़ाचापड़ में 15–20 अज्ञात मोटर साईकिल पर सवार करीब 35–40 व्यक्ति हाथ में लाठी–डंडा लेकर वनकर्मियों को घेर लिया और जब्त ट्रैक्टर को ले जा रहे गृह रक्षक एवं चालक के साथ मारपीट करने लगे एवं पकड़ाये नाजीर हुसैन को छुड़ाने का प्रयास करने लगे। इस क्रम में जब्त बिना नम्बर का ट्रैक्टर को जबरन छुड़ा कर ले गये। भीड़ मे से किसी तरह जाफर अंसारी पिता–हजरत अंसारी ग्राम–घोगड़िया थाना–दुमका मु0 को पकड़कर साथ लाया गया। उन्होंने बताया कि (1) नसीम अंसारी पिता–नजन अंसारी (2) मुस्ताक अंसारी पिता–जूलकर अंसारी (3) जुलकर अंसारी पिता–नजरूल अंसारी (4) हमुज अंसारी पिता–नजरूल अंसारी (5) तबरेज अंसारी पिता–समशाद अंसारी द्वारा प्रतिबंधित पहाड़ी क्षेत्र से अवैध रूप से पत्थर उत्खनन कर चोरी छिपे ट्रैक्टर में लोड किया गया है।

पुलिस अवर निरीक्षक थाना प्रभारी काठीकुण्ड द्वारा थाना कांड सं0–53/2016 दिनांक–01.09.2016 के अनुसंधान के क्रम में दिनांक–16.11.2016 को गुप्त सूचना के आधार पर बिना नम्बर का लाल रंग का महिन्द्रा ट्रैक्टर एवं ट्रेलर मॉडल B275D1 इंजन/चेचिस नं0 RFNE-04593 को ग्राम–फिटकोरिया के निर्माणाधीन तलाब के पास से जब्त कर थाना परिसर काठीकुण्ड में लाकर सुरक्षित रखा गया है। तत्पश्चात् पुलिस अधीक्षक, दुमका द्वारा अपने कार्यालय ज्ञापांक–149/अप0शा0 दिनांक–03.02.2017 से उक्त जब्त वाहन एवं उस पर लदे वन पदार्थ (पत्थर) को राज्यसात करने का अनुरोध किया गया।

तत्पश्चात् उक्त जब्त वाहन एवं उस पर लदे वन पदार्थ (पत्थर) को राज्यसात करने हेतु कार्रवाही प्रारंभ करते हुए इसकी सूचना अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दुमका को दे दी गई तथा इस काण्ड में संलिप्त अभियुक्तों को कारण–पृच्छा की

(5)

नोटिस निर्गत की गई। अपीलकर्त्ता जूलकर अंसारी पिता– नजरूल अंसारी द्वारा दिनांक–03.04.2017 को कारण–पृच्छा दाखिल किया गया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि जब्त की गई महिन्द्रा ट्रैक्टर एवं ट्रेलर मॉडल नं0–B275DI इंजन/चेचिस नं0– RFNE 04593 का मालिक है। उक्त वाहन को खाली स्थिति में पकड़ा गया है। जब्त वाहन का संबंधित काण्ड से कोई संबंध नहीं है। अतः वाहन को विमुक्त किया जाय।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जब्त वाहन का संबंधित काण्ड में संलिप्त था के संबंध में काई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश न्याय संगत नहीं है। अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि ट्रैक्टर के साथ पकड़ा गया व्यक्ति नाजिर हुसैन पिता सोयेब अंसारी ग्राम–घोगड़िया थाना–दुमका मु0 द्वारा बतलाया गया कि जब्त ट्रैक्टर मालिक अपीलकर्त्ता है। साथ ही ट्रैक्टर छुड़वाने के क्रम में भीड़ से पकड़ा गया व्यक्ति जाफर अंसारी पिता–हजरत अंसारी सा0–घोगड़िया द्वारा बतलाया गया कि (1) नसीम अंसारी (2) मुस्ताक अंसारी (3) जुलकर अंसारी (4) हमुज अंसारी एवं (5) तबरेज अंसारी सभी ग्राम–घोगड़िया थाना–दुमका मु0 द्वारा प्रतिबंधित पहाड़ी क्षेत्र से अवैध रूप से पत्थर उत्खनन कर चोरी–छिपे ट्रैक्टर में लोड किया गया है। ऐसी स्थिति में वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश सही प्रतीत होता है। अतः अपीलकर्त्ता का आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

23/11/21
उपायुक्त,
दुमका।

23/11/21
उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.08 13:09:02 +05:30
Location: 169.254.227.244